वर्ष - 29 अंक 114 जनवरी-मार्च, 2011

अनुक्रम

भारत में नक्सली हिंसा व उसका निदान
• *डा. देव प्रकाश खन्ना* 7

नक्सलवाद : विकासशील भारत के लिए अभिशाप
• *डा. अनुराग द्विवेदी* 17

आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटाने का पहला चरण
• *श्रीमती बृज वाला* 22

पुलिस वाले अच्छी सोच से अच्छा इंसान बनें
• *डा. ओमराज सिंह विश्नोई* 27

भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप : ज्वलंत प्रश्न
• *डा. गीता सक्सेना एवं डा. आर.के. सक्सेना* 34

एजेंट का चुनाव
• *ई.जे.सी. ढौंडियाल* 41

भारत में महिला पुलिसः वर्तमान परिप्रेक्ष्य व भविष्यगत संभावनाएं
• *शशि कांत* 46

महिला पुलिस की समस्याएं
• *प्रतिभा दूबे* 51

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ैड. खान, नई दिल्ली
प्रो. एस.पी.श्रीवास्तव, लखनऊ
श्री एस.वी.एम त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. बलराज चौहान, भोपाल
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर, (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री एस.पी. सिंह पुंडीर, लखनऊ
श्री पी. डी. वर्मा, छत्तीसगढ़
श्री वी.वी.सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : रचना इंटरप्राइजिज, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

नक्सलवाद : विकासशील भारत के लिए अभिशाप

डा. अनुराग द्विवेदी

वरिष्ठ प्रवक्ता

सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव,

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर (उ.प्र.)

नक्सलवाद के समर्थक, व्याख्याकार और विरोधी इस बात पर लगभग एकमत हैं कि नक्सलवाद हिंसा का जन्म आजाद भारत की सरकार द्वारा किए गए भूमि सुधारों की विकलांगता से हुआ है, नक्सलवाद वास्तव में सामाजिक, आर्थिक समस्या है जिसका समाधान सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके, सम्पत्ति का समान वितरण कर आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करके एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर हो सकता है। नक्सली हिंसा का तांडव बढ़ता जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। सवाल यह है कि हम बेलगाम नक्सली हिंसा पर अंकुश लगाने की कार्यनीति कैसे बनाए। विकास की मुख्यधारा से लगातार कटते जा रहे गरीबों और आदिवासियों के मूल में गरीबी, लाचारी और पहचान का अभाव मुख्य कारण है। गरीबी और उसके प्रतिफल से उपजी लाचारी व्यक्ति में हीनता का संचरण करती है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति की अन्तिम इच्छा/अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की होती है। पढ़ने-लिखने के बाद रोजगार तलाश कर जीविकोपार्जन करना उसकी समाज में आर्थिक और सामाजिक हैसियत इंगित करती है। यानि कि समाज में उसकी पहचान स्थापित होती है। जो धन से, जन से और शिक्षा से अलग है, उन्हें समाज में कैसे पहचान मिले—इसी पहचान बनाने का माध्यम बनती है असामाजिक गतिविधियां जिसे अलग-अलग प्रांतों में अलग नामों से जाना जाता है—नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद, आतंकवाद इत्यादि।

सफर चार दशक का : 25 मई 1967 सी.पी.आई. मार्क्सवाद की वैचारिक धारा से अलग होकर में पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले के नक्सलवादी गांव में नक्सलवाद का जन्म हुआ। आदिवासी युवाओं द्वारा स्थानीय जमींदारों के जुल्म के खिलाफ हथियार के साथ संघर्ष शुरू हुआ। इसका एक ही लक्ष्य था। हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन और समता मूलक समाज की स्थापना।

1969 : लेनिन के जन्मदिन पर नई पार्टी सी.पी.आई. (मार्क्सवादी लेनिनवाद) का गठन किया गया।

18 जुलाई 1972 : पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद पुलिस हिरासत में ही एक प्रमुख नेता की की मृत्यु से नक्सली आंदोलन को जबरदस्त धक्का पहुंचा। सी.पी.आई. (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का केंद्रीय संगठन चरमरा गया। बाद के कुछ सालों में आंदोलन कई धाराओं में बट गया।

22 अप्रैल 1980 : आंध्रप्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना की।

1999 : माओवादी संगठनों में एकता के प्रयास शुरू मुख्यतः बिहार में सक्रिय सी.पी.आई. (मार्क्सवादी लेनिनवादी) के पार्टी यूनिटों का पीपुल्सवार ग्रुप में विलय हो गया।

2004 : 1992 में शांतिवार्ता को सुगम करने की पीपुल्स वार ग्रुप के प्रयास पर लगाए गए प्रतिबंधों को आंध्रप्रदेश में हटा दिया। माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र (एमसीसी) पीपुल्स वार ग्रुप में समाहित हो गए और सी.पी.आई. (माओवादी) का जन्म हुआ।

2004-2009 : नक्सलवादियों ने भारत के 626 जिलो के एक तिहाई हिस्सों में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ की।

भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप : ज्वलंत प्रश्न

डा.गीता सक्सेना एवं डा. आर. के. सक्सेना

गीता भवन, गरगज कॉलोनी, बहेडापुर, ग्वालियर (म.प्र.)

भ्रष्टाचार के संबंध में विल डूरेन्ट ने लिखा है कि "मकानों के स्थान पर छोटे-छोटे कमरे ही रह गए हैं, और पारिवारिक जीवन के स्थान पर वैयक्तिक जीवन को अधिक महत्व दिया जाता है।" वास्तव में भौतिक प्रगति की दौड़ में मनुष्य पागलों की तरह इधर-उधर पैर मार रहा है उसे नैतिकता तथा अनैतिकता का कोई ख्याल नहीं है। व्यक्ति केवल भौतिक प्रगति चाहता है, अपने वैयक्तिक जीवन में संसार के समस्त सुखों को समेट लेना चाहता है, चाहे ऐसा करने में उसे कितने ही नियमों एवं व्यवस्थाओं का उल्लघंन करना पड़े। नैतिक मूल्यों की परवाह किए बिना पैसा और केवल पैसा कमाना ही व्यक्ति का लक्ष्य हो गया है। साधनों की पवित्रता तिरोहित हो गई है। आज स्थिति यह है कि "We are Spending more and more on less and less of dress so, also minds" अर्थात् हम भ्रष्ट व्यवहार से परे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी आत्मा संकट में है। हममें अपने में विश्वास की कमी उत्पन्न हो गई है। स्वार्थपूर्ति की प्रक्रिया में हम किसी भी कार्य को अनैतिक अथवा अवैधानिक नहीं समझते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे वैयक्तिक व सामाजिक जीवन को इस तरह प्रभावित कर दिया है कि आज हम ठीक से यह सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इस बुराई को समाज से दूर कैसे किया जाए।

इलियट और मैरिल ने लिखा है कि "Corruption is a wilful failure to perform a specified duty in order to receive some direct of indirect personal gain." (by Elliott and Merill) अर्थात् "भ्रष्टाचार कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्रवाह करने में जानबूझ कर असफल होना है।" **भ्रष्टाचार समाज की वह विकृत अवस्था है जहां रुपया ही बात करता है, यहां लोगों को इस दृष्टि से नहीं देखा जाता कि वह क्या है? वरन उसके पास क्या हैं? यह महत्वपूर्ण होता है।**

भारत में भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है। प्राचीन भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं स्मृतिग्रंथों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र संस्कृत पुस्तकों तथा ऐतिहासिक रचनाओं में विद्यमान है। मनु का मत है कि राजा के लोग हमेशा भ्रष्टाचार से ग्रसित रहे हैं। कौटिल्य ने 40 प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों की चर्चा की है वे आज के आधुनिक समाज में भी पाई जाती है। कौटिल्य ने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों (युक्त) क्लर्क (उपयुक्त) तथा सेवक (तत्पुरुष) को किसी प्रकार की नरमी न बरतते हुए भ्रष्टाचार के अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा यथा मृत्युदंड तक देने की बात कही है। कौटिल्य के कानून आज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लागू करने की आवश्यकता है जिसमें उन्होंने व्यवस्था दी थी कि भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं, व्यापारियों या अन्य सभी को जो लोग बालात भ्रष्टाचार से धन या सम्पत्ति अर्जित करते हैं उन पर ऐसे धन का 12 गुना जुर्माना किया जाए, सख्ती से जुर्माना वसूल किया जाए, पद से तुरंत हटा दिया जाए तथा ऐसे लोगों पर कोड़े बरसाए जाएं प्राचीनकाल में भ्रष्टाचार को एक जघन्य अपराध माना गया था। मध्यकाल (मुगलकाल) में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कोई विशेष विधान नहीं किए गए। अंग्रेजी शासन काल में मी 1860 से पूर्व कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। किंतु कंपनी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से ब्रिटिश पार्लियामेंट काफी चिंतित थी। इसी तथ्य के मद्देनजर 1773 में रैगुलेशन एक्ट बनाया गया। 1784 में इंडिया एक्ट पारित हुआ। भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) 1860 में पारित किया गया।